इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 593] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 नवम्बर 2010—अग्रहायण 2, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्र. 24633-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 23 नवम्बर, 2010 को पुरः स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०१०

मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, २०१०

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. प्रोद्धरण का संशोधन.

३. वृहत् नाम का स्थापन.

४. धारा १ का संशोधन.

५. धारा २ का संशोधन.

६. धारा ३ का संशोधन.

७. पांचवां अध्याय के शीर्षक का संशोधन.

८. छठवां अध्याय के शीर्षक का स्थापन.

९. धारा ३१ का संशोधन.

१०. धारा ३२ का संशोधन.

११. धारा ३३-क का अंत:स्थापन.

१२. धारा ३४-क का संशोधन.

१३. धारा ३५ का संशोधन.

१४. धारा ३७ का संशोधन.

१५. धारा ४४ का संशोधन.

१६. धारा ६१-क का अंत:स्थापन.

१७. धारा ६२ का संशोधन.

१८. धारा ७६ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०१०

मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, २०१०

मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

प्रोद्धरण का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ३ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रोद्धरण में, शब्द ''गृह-निर्माण'' के स्थान पर, शब्द ''गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास'' स्थापित किए जाएं.

वृहत् नाम का स्थापन.

३. मूल अधिनियम के वृहत् नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत् नाम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''आवास स्थान की आवश्यकता के संबंध में कार्यवाही करने तथा उस आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु तथा अधोसंरचना विकास का दायित्व लेने हेतु उपाय करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य में गृह-निर्माण और अधोसंरचना विकास मण्डल के निगमन तथा विनियमन के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.''.

धारा १ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १ में, उपधारा (१) में, शब्द ''गृह-निर्माण'' के स्थान पर, शब्द ''गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास'' स्थापित किए जाएं.

धारा २ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (३) में, शब्द ''गृह-निर्माण मण्डल'' के स्थान पर, शब्द ''गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल'' स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (७-क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(७-क)''अधोसंरचना विकास स्कीमों'' में सम्मिलित हैं सड़कों का निर्माण, पुल, मलवहन प्रणाली, हवाई अड्डे, नगर स्तर की जल प्रदाय और अन्य अधोसंरचना विकास स्कीमें;''.

धारा ३ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३ के पार्श्व शीर्ष और पाठ में, शब्द ''गृह-निर्माण मण्डल'' के स्थान पर, शब्द ''गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल'' स्थापित किए जाएं.

पांचवां अध्याय के शीर्षक का संशोधन.

७. मूल अधिनियम के पांचवां अध्याय के शीर्षक में, शब्द ''गृह-निर्माण स्कीमों'' के स्थान पर, शब्द ''गृह-निर्माण तथा अधोसंरचना विकास स्कीमों'' स्थापित किए जाएं.

छठवां अध्याय के शीर्षक का स्थापन.

८. मूल अधिनियम के छठवां अध्याय के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''गृह-निर्माण स्कीमों तथा अधोसंरचना विकास स्कीमों''.

धारा ३१ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ३१ के पार्श्व शीर्ष तथा पाठ में, शब्द ''गृह-निर्माण स्कीमों तथा विकास स्कीमों'' के स्थान पर, शब्द ''गृह-निर्माण स्कीमों तथा/या अधोसंरचना विकास स्कीमों'' स्थापित किए जाएं.

धारा ३२ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ३२ के पार्श्व शीर्ष तथा पाठ में, शब्द ''गृह-निर्माण स्कीमों तथा विकास स्कीमों'' के स्थान पर, शब्द ''गृह-निर्माण स्कीमों तथा/या अधोसंरचना विकास स्कीमों'' स्थापित किए जाएं.

धारा ३३-क का अंत:स्थापन.

११. मूल अधिनियम की धारा ३३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

विषय जिनके लिए अधोसंरचना विकास स्कीम द्वारा उपबंध किया जाएगा.

''३३-क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधोसंरचना विकास स्कीम में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) राज्य के भीतर अधोसंरचना विकास के लिए अपेक्षित स्कीमें और परियोजना तैयार करना, निश्चित करना एवं कार्यान्वित करना;

(ख) अधोसंरचना स्कीम तथा मास्टर प्लान एवं नगर विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराना;

(ग) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) और मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन गठित स्थानीय निकायों, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ३ सन् १९७३) के अधीन गठित नगर विकास प्राधिकरणों तथा ऐसे ही अन्य संगठनों को उनकी तकनीकी तथा आंतरिक क्षमताओं तथा उनके वित्तीय संसाधनों में सुधार के लिए सहायता तथा परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना;

(घ) पुलों, सड़कों, राजमार्गों, हवाई अड्डों, नगर स्तर की जल प्रदाय तथा मलवहन प्रणाली का निर्माण या अधोसंरचना विकास के अन्य क्रियाकलाप जो कि धारा ३४-क के अधीन मण्डल द्वारा विनिश्चित किए जाएं.''.

धारा ३४-क का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ३४-क में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''अधोसंरचना विकास स्कीमें'';

(दो) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१) मण्डल की, जब कभी राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर या उसके स्वाविवेक पर यह राय हो, कि किसी क्षेत्र में अधोसंरचना विकास स्कीम आरंभ करना समीचीन है तो मण्डल एक विकास स्कीम विरचित कर सकेगा.'';

(तीन) उपधारा (४) में, शब्द ''विकास स्कीम'' के स्थान पर, शब्द ''अधोसंरचना विकास स्कीम'' स्थापित किए जाएं.

धारा ३५ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, उपधारा (२) में, खण्ड (क) में, शब्द ''विकास स्कीमों'' के स्थान पर, शब्द ''अधोसंरचना विकास स्कीमों'' स्थापित किए जाएं.

धारा ३७ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा ३७ में, प्रथम परंतुक में शब्द ''विकास स्कीमों'' के स्थान पर, शब्द ''अधोसंरचना विकास स्कीमों'' स्थापित किए जाएं.

१५. मूल अधिनियम की धारा ४४ के पार्श्व शीर्ष तथा पाठ में, शब्द ''गृह-निर्माण स्कीमों'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द ''गृह-निर्माण स्कीमों एवं अधोसंरचना विकास स्कीमों'' स्थापित किए जाएं. धारा ४४ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा ६१ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ६१-क का अंत:स्थापन.

''६१-क (१) मण्डल, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, अभिदायों या साम्या अभिदायों, जो अपने अधिशेष, अनुसूचित बैंकों, शासकीय वित्तीय संस्थाओं या राज्य सरकार द्वारा सम्यक्रूप से अनुमोदित किन्हीं अन्य संगठनों द्वारा किए गए अभिदायों से, एक अधोसंरचना विकास निधि सृजित कर सकेगा. अधोसंरचना विकास निधि.

(२) अधोसंरचना विकास निधि का उपयोग सम्भाव्यता का पूर्व अध्ययन, सम्भाव्यता संबंधी अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, परियोजना विकास रिपोर्ट तैयार करने, परियोजना का वित्त पोषण करने, परियोजना कार्यान्वित करने और किसी अन्य अधोसंरचना विकास क्रियाकलाप के लिए जो कि मण्डल द्वारा अवधारित किया जाए, किया जा सकेगा.

(३) अधोसंरचना विकास निधि के उचित उपयोग के लिए मण्डल, कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) या भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का २) के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास के अधीन विशेष प्रयोजन माध्यम (स्पेशल परपज व्हीकल) बना सकेगा. अधोसंरचना विकास निधि मण्डल के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन होगी, जिसके लिए मण्डल विनियम विरचित करेगा.''.

१७. मूल अधिनियम की धारा ६२ में, उपधारा (३) में, शब्द ''गृह-निर्माण स्कीम'' के स्थान पर, शब्द ''गृह-निर्माण तथा अधोसंरचना विकास स्कीमों'' स्थापित किए जाएं. धारा ६२ का संशोधन.

१८. मूल अधिनियम की धारा ७६ में, शब्द ''गृह-निर्माण स्कीमों'' के स्थान पर, शब्द ''गृह-निर्माण तथा अधोसंरचना विकास स्कीमों'' स्थापित किए जाएं. धारा ७६ का संशोधन.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य आवास एवं पर्यावास नीति, २००७, अधोसंरचना विकास बोर्ड के गठन द्वारा राज्य में अधोसंरचना विकास स्कीम को क्रियान्वित करने की अनुशंसा करती है. अतएव, मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल को, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के रूप में पुनर्गठित करने का विनिश्चय किया गया है. मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल को अधोसंरचना विकास स्कीम का दायित्व लेने के लिए सशक्त करने हेतु इसके क्रियाकलापों के क्षेत्र का विस्तार करने का भी प्रस्ताव किया गया है. इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए, राज्य के भीतर अधोसंरचना परियोजनाओं पर विचार करने, उनकी परिकल्पना करने, उन्हें कार्यान्वित करने, निष्पादित करने, उन्हें चलाने तथा उनका अनुरक्षण करने के लिए मण्डल को सशक्त किया जाएगा. इस उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से, मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ३ सन् १९७३) में यथोचित् संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १२ नवम्बर, २०१०.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, २०१० के फलस्वरूप जिन खण्डों द्वारा राज्य शासन को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड-११ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मण्डल राज्य के भीतर अधोसंरचना विकास के लिए अपेक्षित स्कीमें और परियोजना तैयार कर कार्यान्वित करना, मास्टर प्लान एवं नगर विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराना एवं नगर विकास प्राधिकरणों तथा ऐसे ही अन्य संगठनों को उनकी तकनीकी तथा आंतरिक क्षमताओं तथा उसके वित्तीय संसाधनों में सुधार के लिये सहायता तथा परामर्श सेवायें उपलब्ध कराये जाने,

खण्ड १२ किसी क्षेत्र में अधोसंरचना विकास स्कीम आरंभ करना समीचीन है तो मण्डल द्वारा एक विकास स्कीम विरचित किये जाने,

खण्ड १६ (१) मण्डल, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये, अधोसंरचना विकास निधि सृजित करने,

(२) अधोसंरचना विकास निधि का उपयोग सम्भाव्यता का पूर्व अध्ययन, सम्भाव्यता संबंधी अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, तैयार करने, परियोजना का वित्त पोषण एवं कार्यान्वित करने, तथा

(३) अधोसंरचना विकास निधि के उचित उपयोग के लिये मण्डल, विशेष प्रयोजन माध्यम (स्पेशल परपज व्हीकल) बनाये जाने, अधोसंरचना विकास निधि मण्डल के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन विनियम विरचित किये जाने,

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.